भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

सं0 RS/1/2019/STGUL/DEOTH/RU-I   दिनांक : 11.4.2019

विषय: जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के उपर अत्याचार करने के संबंध में– श्री रूप सिंह, पुत्र श्री बेनी राम एवं अन्य निवासी एफसीआई पुरानी तहसील के सामने, मौदी मैदान (C/o श्री असगर रजा, उत्तराखंड क्रांति दल, केन्द्रीय सचिव, विधान सभा प्रभारी, बी–210, एस कालिन्दी, सामिया लेक सिटी, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) उत्तराखंड) का दिनांक 16.02.2019 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: (1) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला–ऊधमसिंह नगर के पत्र सं0 एसटी–108 (आयोग–13)/2019 दिनांक 17.02.2019

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.03.2019

कृपया
कृपया

चूँकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण/जांच करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई के लिए, नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 08.05.2019 को सांय 04:00 बजे सिटिंग निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित सम्पूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे, यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अन्तर्गत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष सं0 24641640

सेवा में,

1. जिला अधिकारी,
जिला–ऊधमसिंह नगर,
(उत्तराखंड)

2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला–ऊधमसिंह नगर,
(उत्तराखंड)

प्रतिलिपिः

1. श्री रूप सिंह, पुत्र श्री बेनी राम एवं अन्य निवासी, एफसीआई पुरानी तहसील के सामने, मौदी मैदान
   (C/o श्री असगर रजा, उत्तराखंड क्रांति दल, केन्द्रीय सचिव, विधान सभा प्रभारी)
   बी–210, एस. कालिन्दी,
   सामिया लेक सिटी,
   रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)
   (उत्तराखंड)
2. माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निजी सचिव।
3. माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निजी सचिव।
4. माननीय सदस्य (HKD), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निजी सचिव।
5. माननीय सदस्य (HCV), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निजी सचिव।
6. माननीय सदस्य (MCI), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निजी सचिव।
7. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
8. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निजी सहायक।
9. उप सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निजी सहायक।
10. सहायक निदेशक (प्रशा.)/केयरटेकर (कृपया बैठक के समय आवश्यक व्यवस्था का प्रबंध करें)
11. एनआईसी, एनसीएसटी, (कृपया आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करें)।